संख्याः 1585/XXIV-3/10/02(134)2007

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 20 सितम्बर,2010

विषयः जनजातीय क्षेत्र उपयोजना(टी0एस0पी0)के अन्तर्गत रा0इ0का0कुन्नाडागुरा, देहरादून के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सख्याः 5ख(1)/55324/टी.एस.पी./2010–11; दिनांकः 31अगस्त, 2010 के संबंध में तथा शासनादेश संख्याः 1744/XXIV-3/07/02(134)2007; दिनांकः 16जनवरी, 2008, शासनादेश संख्याः 82/XXIV-3/09/02(134)2007; दिनांकः 04 फरवरी,2009 तथा शासनादेश संख्याः 199/XXIV-3/09/02(134)2007; दिनांकः 25 मार्च,2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत रा0इ0का0 कुन्नाडागुरा, देहरादून के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन की औचित्यपूर्ण लागत रू0 82.44 लाख के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत रू0 40.31 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 42.13 लाख (रूपयें बयालीस लाख तेरह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष में शासनादेश संख्याः 1261/XXIV-3/10/02(16)2009; दिनांकः 13सितम्बर, 2010 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 50.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैः–

1. उपर्युक्त विद्यालय के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामों/वार्डो में स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा।

2. उक्त कार्यो के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 475/XXVII (07)/2008; दिनांक 15.12.08 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

4. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

अपि

250-आर्टिकल

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वी धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

6. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

7. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

9. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाए।

10. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

11. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय। उक्त कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार शीघ्र पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,-01-सामान्य शिक्षा,-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-03- माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार -24- वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 249/XXVII(1)/2010, दिनाँकः 04मई, 2010 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहें है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1585(1)/XXIV-3/10/02(134)07, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।

क्रमशः

3. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड़।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव,सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड़ शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल–पौड़ी।
7. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल–पौड़ी।
8. जिलाधिकारी, देहरादून ।
9. कोषाधिकारी, देहरादून।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड़ सचिवालय।
12. कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
13. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून
14. बजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पी0एल0शाह)
उपसचिव।

अर्पित